2026:AHC:65685

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

मामला अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 16121/2025

अमित कुमार.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य.....विपक्षी पक्षकारगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:रतीश सिंह

विपक्षी पक्षकारगण के अधिवक्ता:सलमान अहमद, जी.ए., साकिब मीजान

<u>न्यायालय संख्या - 75</u>

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. संशोधित सूची में सूचीबद्ध करें।
2. श्री रतीश सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री त्रिभुवन सरन राय, राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया। विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री साकिब मीजान और श्री सलमान अहमद, मामले को संशोधित सूची में लिए जाने पर भी उपस्थित नहीं हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

Translated version. Not for legal use.

3. वर्तमान मामला अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. आवेदक- अमित कुमार द्वारा इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाए और शिकायत वाद संख्या 230 of 2023 (रामस्वरूप बनाम अमित कुमार तथा अन्य), धारा 452, 504, 506 आई.पी.सी., मुकदमा अपराध संख्या, थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ में दिनांक 29.08.2023 के समन आदेश सहित संपूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 18.04.2025 के आक्षेपित एन.बी.डब्ल्यू. आदेश, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त किया जाए। यह भी प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान आवेदन के लंबित रहने के दौरान उपर्युक्त मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा करे।

4. पक्षकारों के मध्य उनके विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करने हेतु दिनांक 21.05.2025 के आदेश द्वारा मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया गया था।

5. दिनांक 12.09.2025 की मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारों ने दिनांक 10.09.2025 को समझौता किया है और अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा लिया है तथा आगे उनके बीच चल रहे मामलों को वापस लेने पर भी सहमत हुए हैं।

6. दिनांक 25.03.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र की एक रिपोर्ट अभिलेख पर है।

7. इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट के परिशीलन से प्रतीत होता है कि उक्त आदेश के अनुपालन में मध्यस्थता की कार्यवाही की गई, जो पक्षकारों के मध्य दिनांक 10.09.2025 के समझौते के साथ समाप्त हुई, जो उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन थी और मध्यस्थता सफल हुई। पक्षकारों ने अपनी शिकायतों तथा यहां तक कि वर्तमान मामले से उत्पन्न विवाद को भी निपटा लिया है। पक्षकार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

Translated Version. Not for legal use.

उनके बीच चल रहे मामलों को वापस लेने पर सहमत हुए हैं, उक्त तथ्य उक्त मध्यस्थता रिपोर्ट के पैरा 7-च में उल्लिखित है।

8. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि सुस्थापित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **(1) बी.एस. जोशी तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य: (2003)4 एस.सी.सी. 675; (2) निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो: (2008) 9 एस.सी.सी. 677; (3) मनोज शर्मा बनाम राज्य तथा अन्य: (2008) 16 एस.सी.सी. 1; (4) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एस.सी.सी. 303; (5) शैफुल्लाह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य: 2013 (83) ए.सी.सी. 278 और (6) परबतभाई अहीर@परबतभाई @ भीमसिंहभाई करमुर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा अन्य: (2017) 9 एस.सी.सी. 641 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जिन मामलों में पक्षकारों ने अपनी शिकायतों का निपटारा कर लिया है, उन्हें निरस्त किया जा सकता है।**

9. अभिलेखों के परिशीलन तथा विषय-वस्तु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि से, वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा आवेदकों द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार कार्यवाही को निरस्त करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

10. वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. वर्तमान मामले की कार्यवाही तथा समन आदेश/आरोप-पत्र एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निस्तारण माना जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

Translated version. Not for legal use.

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

26 मार्च, 2026

एस.ए.

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|